

मानवाधिकारों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : गोयल

राजपुरा, 17 सितंबर (निस)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्पेशल मॉनिटर (बच्चे एवं बुजुर्ग नागरिक) बाल कृष्ण गोयल ने आज पटियाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग नागरिकों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया।

बाल कृष्ण गोयल ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश

दिए कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी तालमेल एवं सहयोग से कार्य किया जाए। पटियाला दौरे के दौरान गोयल ने केंद्रीय जेल, पीडीएस वितरण केंद्रों, पुलिस थानों, अस्पतालों, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स, वृद्धाश्रम, सरकारी-आवासीय स्कूलों, ऑब्जर्वेशन होम, वन स्टॉप सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा कर निरीक्षण किया। बैठक के दौरान एडीसी (अर्बन डेवलपमेंट) नवरीत कौर सेखों ने डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल की ओर से गोयल का स्वागत किया। एसपी सिटी मोहित अग्रवाल ने एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस की ओर से भरोसा दिलाया कि पटियाला पुलिस आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरा सहयोग देगी।



पटियाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते एनएचआरसी स्पेशल मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल।

Source: <https://www.opindia.com/2026/09/how-india-finds-missing-children/>

How India finds the missing children

NCRB data, Mission Vatsalya, CCTNS, railway rescue operations, helplines and child-welfare bodies form an interconnected system that begins with an FIR and continues through tracing, verification, protection and safe restoration.

17 September, 2026 Anurag

When a child goes missing in India, the search activates a network involving police, databases, child-protection bodies, railway authorities and anti-trafficking units. The system begins with registration of an FIR, followed by circulation of the child's details through police and child-tracing networks.

NCRB recorded 98,375 children newly reported missing in 2024, including 75,603 girls, 22,768 boys and four transgender children. Another 48,800 children from previous years remained untraced at the beginning of the year, taking the total active pool to 147,175. During 2024, 98,826 children were traced or recovered, while 48,349 remained missing at year-end.

A missing child is not automatically a trafficking victim. Children may run away, become separated from family, be abandoned, kidnapped, abducted or trafficked. The National Human Rights Commission's Delhi study found 73% of traced children in its sample were runaways, while other cases involved child labour, trafficking, sexual exploitation, forced marriage and family disputes.

India's tracing architecture has evolved over the years. TrackChild was built to connect records of missing and found children, while Khoya-Paya allowed citizens to report missing or sighted children. Both now operate under Mission Vatsalya Portal, which is integrated with CCTNS, allowing missing-child FIR information to be matched with child-protection databases. Child Helpline 1098 and ERSS-112 provide entry points, while Child Welfare Committees and District Child Protection Units handle protection and restoration.

Railway stations form another important part of the system. Under Operation Nanhe Farishte, RPF reported rescuing 84,119 children between 2018 and May 2024. Special drives such as Operation Smile, Operation Muskaan and Delhi Police's Operation Milap have also traced vulnerable and missing children from stations, shelters and public places.

When trafficking indicators emerge, cases can move to Anti-Human Trafficking Units. Finding a child does not automatically end the case. Authorities still have to verify identity, assess safety, trace the family and, where necessary, arrange protection or interstate restoration through GHAR.

The Supreme Court has pushed for deeper integration of these systems, including an all-India grid connecting police stations, Mission Vatsalya and CCTNS, with the aim of making information move faster during the crucial

first hours after a disappearance.

Source: <https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/judicial-probe-ordered-into-bathinda-custodial-death-101789672714048.html>

Judicial probe ordered into Bathinda custodial death

Senior superintendent of police (SSP) Sohail Quasim Mir on Thursday said that, as per protocol, the district authority has also informed the National Human Rights Commission about the death

Published on: Sep 18, 2026, 08:03:10 IST

By HT Correspondent , BATHINDA

A judicial probe has been initiated to ascertain the cause of death of a 26-year-old who died in the custody of Bathinda police.

Senior superintendent of police (SSP) Sohail Quasim Mir on Thursday said that, as per protocol, the district authority has also informed the National Human Rights Commission about the death.

He said the communication was sent to the Bathinda district sessions judge on Wednesday, after which a judicial officer was appointed.

The SSP said that further action would be initiated based on the judicial probe. The deceased's father had alleged on Wednesday that his son was a drug addict and had left on Sunday for an undisclosed location to buy narcotics, but was arrested by the police on flimsy grounds. He alleged that his son was implicated in a case of theft of copper wires from electricity transformers and died after being tortured in police custody.

The SSP said that Daler was arrested along with his mother and their accomplice in a theft case on September 13.

"The deceased and the two accused were in the lock-up of Sangat police station after the court sent them to police remand on September 14. Their custodial place was under surveillance cameras. Prima facie, there was no substance in the allegations of custodial torture. Daler felt uneasy late Tuesday evening and was immediately rushed to Shaheed Bhai Mani Singh Civil Hospital, where he died during treatment," said the SSP.

A resident of Multaian village in the district, the deceased had a criminal past, and three cases were registered against him, including murder, rape and theft, police said.

Source: <https://www.indiatodayne.in/manipur/story/delhi-kso-demands-nia-probe-into-reported-killing-of-26-kuki-zo-civilians-in-manipur-1452087-2026-09-17>

News Manipur Delhi KSO demands NIA probe into reported killing of 26 Kuki-Zo civilians in Manipur

Delhi KSO demands NIA probe into reported killing of 26 Kuki-Zo civilians in Manipur

The Kuki Students' Organisation (KSO), Delhi & NCR, has called for an independent investigation into what it described as the killing of 26 Kuki-Zo civilians in Manipur between March 11 and September 15, 2026.

India TodayNE

Sep 17, 2026, Updated Sep 17, 2026, 6:54 PM IST

The Kuki Students' Organisation (KSO), Delhi & NCR, has called for an independent investigation into what it described as the killing of 26 Kuki-Zo civilians in Manipur between March 11 and September 15, 2026.

The organisation held a peaceful gathering at Jantar Mantar in New Delhi on September 17 and submitted a memorandum to the Prime Minister's Office, Ministry of Home Affairs, National Human Rights Commission and National Commission for Scheduled Tribes.

In its memorandum, KSO sought an independent, high-level investigation into 12 incidents mentioned in the document.

According to the organisation, the reported incidents occurred in peripheral areas of Manipur, including Ukhrul, Kamjong, Tamenglong, Noney, Kangpokpi and Senapati districts. It said the reported victims included women and elderly persons and alleged that homes and agricultural structures were also attacked.

The claims and allegations in the memorandum are those of KSO and have not been independently verified.

KSO raises concerns over security operations

KSO Delhi & NCR also alleged that security operations in Kuki-Zo areas were unequal, claiming that villages had faced combing operations, dismantling of defensive bunkers and seizure of licensed firearms while armed groups continued to operate elsewhere.

The organisation called for security operations to be conducted impartially across communities and for vulnerable civilians to receive equal protection.

Seven demands submitted

KSO Delhi & NCR has called for an independent investigation by the National Investigation Agency (NIA) or a Special Investigation Team under judicial oversight.

Its other demands include impartial security operations, action against unauthorised armed camps, protection and compensation for the families of the reported victims, humanitarian and medical assistance, witness protection and stronger security for displaced and vulnerable tribal communities.

The organisation also sought permanent Central Armed Police Force outposts in vulnerable Kuki-Zo villages to strengthen civilian protection.

KSO appealed to the Centre to take measures to protect civilian life, uphold the rule of law and ensure equal protection for all communities.

The organisation said it has submitted its memorandum to the concerned authorities and urged them to take cognisance of the issues raised.

Edited By: Atiqul Habib

Published On: Sep 17, 2026

Source: <https://www.business-standard.com/video-gallery/world/meta-to-share-child-sexual-abuse-material-cases-directly-with-indian-authorities-179285.htm>

Home / Video Gallery / World / Meta to share child sexual abuse material cases directly with Indian authorities

Meta to share child sexual abuse material cases directly with Indian authorities

Last Updated : Sep 17 2026 | 11:07 AM IST

Meta has agreed to share child sexual abuse material (CSAM) cases directly with Indian law enforcement agencies, instead of routing them through the US-based National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). The move follows meetings between Meta executives and Indian government officials over child safety concerns. The Ministry of Electronics and Information Technology had earlier summoned Meta executives after reports of Instagram ads allegedly promoting CSAM. The National Commission for Protection of Child Rights and National Human Rights Commission have also launched probes into the allegations.

Source: <https://globalgovernancenews.com/nhrc-seeks-report-on-muzaffarpur-septic-tank-deaths/>

HomeGOVERNANCE NEWSNHRC Seeks Report on Muzaffarpur Septic Tank Deaths

NHRC Seeks Report on Muzaffarpur Septic Tank Deaths

Rights panel takes suo motu cognizance of reported deaths of two workers in Bihar, seeks response within two weeks

By Global Governance News On Sep 17, 2026

The NHRC took suo motu cognizance of reports about the deaths of two workers in a septic tank in Muzaffarpur. The incident was reportedly reported from the Sikandarpur Police Station area on September 14.

Notices have been issued to Bihar's Chief Secretary, Muzaffarpur DM and SSP.

The Commission has sought details of the investigation and compensation, if any, paid to the victims' next of kin.

GG News Bureau

New Delhi, 17th Sept: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report concerning the deaths of two workers who reportedly died of asphyxiation inside a septic tank in Bihar's Muzaffarpur district. Access Premium News

According to the report cited by the Commission, the incident took place on September 14, 2026, in the area under Sikandarpur Police Station. The workers were reportedly engaged in removing shuttering from a septic tank when the incident occurred.

The NHRC said that, if the reported facts are established to be true, they raise serious issues concerning possible violations of human rights.

The Commission has issued notices to the Chief Secretary of Bihar, District Magistrate, Muzaffarpur, and Senior Superintendent of Police (SSP), Muzaffarpur, seeking detailed reports within two weeks.

The reports are expected to include the current status of the investigation and details of any compensation provided to the next of kin (NoK) of the deceased workers.

The NHRC said the matter is being investigated to determine whether there was any breach of prescribed safety protocols during the work inside the septic tank.

The Commission's action follows a media report published on September 15 regarding the incident.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/nhrc-monitor-directs-patiala-officials-to-protect-rights-of-children-elderly-women/amp_articleshow/134319871.cms

NHRC monitor directs Patiala officials to protect rights of children, elderly, women
City | Bharat Khanna | Sep 17, 2026, 23:57 IST

Patiala: National Human Rights Commission special monitor Bal Krishan Goel on Thursday directed district officials to coordinate efforts to protect the rights of children, elderly citizens and women, warning that violations would invite strict action.

Goel, the NHRC special monitor for children and elderly citizens, reviewed measures taken by the district administration to safeguard human rights and asked departments to ensure effective protection for citizens.

He directed the district education officer and district child protection officer to launch a school campaign on "Good Touch and Bad Touch" and familiarise children with helplines 112 and 1098. He also suggested screening the Women and Child Organisation's awareness film 'Komal'.

Goel urged people to remain vigilant about their rights and entitlements and report violations to the authorities. He said complaints could also be filed with the NHRC through its online portal, hrcnet.nic.in.

He said the NHRC was the custodian of the Right to Life under Article 21 of the Constitution and remained committed to protecting citizens' dignity and human rights.

During his visit, Goel inspected the Central Jail, PDS points, police stations, hospitals, community and primary health centres, child care institutions, places of safety, specialised adoption agencies, an old-age home, govt and residential schools, the observation home, one-stop centre and anganwadi centres. He reviewed facilities and issues concerning beneficiaries' rights and welfare.

Source: <https://www.tribuneindia.com/news/patiala/rights-panel-reviews-child-elderly-welfare-measures-in-patiala-warns-violators/amp>

Rights panel reviews child, elderly welfare measures in Patiala, warns violators

Tribune News Service

Patiala, Updated At : 12:23 AM Sep 18, 2026 IST

Special Monitor (Children and Elderly Citizens) of the National Human Rights Commission (NHRC), Bal Krishan Goel, on Thursday held a meeting with the district administration and reviewed the measures being taken to safeguard the human rights of citizens, particularly children, elderly persons and women.

Goel stressed that human rights violations would not be tolerated and strict action would be initiated against those found responsible and directed all departments to work in close coordination and extend full cooperation to each other.

Directing the District Education Officer (DEO) and District Child Protection Officer (DCPO), Goel called for a special awareness campaign in schools to educate children about 'Good Touch and Bad Touch' and inform them about child assistance helpline numbers 112 and 1098. He also suggested screening the Women and Child Organisation's (WCO) awareness film 'Komal' among children as part of the campaign.

The Special Monitor said the NHRC is the custodian of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India and is committed to ensuring that the dignity and human rights of citizens are protected.

During his visit to Patiala, Goel also inspected various institutions and facilities, including Central Jail, PDS distribution points, police stations, hospitals, CHCs and PHCs, Child Care Institutions (CCIs), Places of Safety, Specialised Adoption Agencies (SAAs), Old Age Home, government/residential schools, Observation Home, One Stop Centre and anganwadi centres. He reviewed the facilities being provided at these institutions and took stock of issues concerning the rights and welfare of their beneficiaries.

Goel appealed to citizens to report any violation of human rights to the National Human Rights Commission through its online portal hrcnet.nic.in, assuring that complaints would be responded to promptly by the Commission.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/two-inmates-in-amravati-central-jail-die-activist-seeks-nhrc-action/amp_articleshow/134320701.cms

Two inmates in Amravati Central Jail die, activist seeks NHRC action
City | Anil Jadhav TNN | Sep 18, 2026, 00:54 IST

Amravati: The death of two young undertrials at the Amravati Central Jail within a month has raised concerns over prisoner health and jail administration protocols.

Social worker Alim Patel has flagged the issue, urging the administration to strictly enforce National Human Rights Commission (NHRC) directives related to custodial deaths.

According to Patel, the two deceased inmates have been identified as Adil Qureshi, a native of Mumbai, and Mohammad Mohasin, a resident of Akola. Both were lodged at the Amravati Central Jail and died during imprisonment within a span of one month.

The jail administration has attributed the deaths to illness, Patel said. "We have submitted a memorandum to the district collector and the jail superintendent. We have urged the collector to look into the matter and requested the superintendent to strictly follow NHRC directives," Patel told media.

He added that strict enforcement of NHRC guidelines is crucial to safeguard the lives of inmates. "NHRC directives are meant to protect human rights inside prisons. Their strict implementation can save lives. Prisoners should not die like this," Patel said.

Source: <https://indiantelevision.com/iworld/nhrc-seeks-reports-from-meta-meity-and-gurugram-police/>

NHRC seeks reports from Meta, MeitY and Gurugram Police

Commission seeks ad records and probes alleged promotion of explicit material on Meta platforms

Published 10 hours ago on September 17, 2026 By indiantelevision.com Team

MUMBAI: Meta's advertising tools are now facing a fresh regulatory spotlight, with the National Human Rights Commission (NHRC) seeking answers over allegations that sexually explicit material was promoted through paid features on Facebook, Instagram and WhatsApp.

In an order dated August 13, the NHRC directed Meta, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and Gurugram Police to submit action-taken reports within seven days of receiving the notice. The directions followed a complaint alleging that advertising and promotional tools were being used to circulate sexually explicit material on Meta's platforms.

The commission has put Meta's ad machinery under the microscope, seeking details on how the allegedly offending material cleared its systems. The company has been asked to provide information on the accounts and advertisers involved, payment details, audience-targeting parameters and the reach of the advertisements.

Meta has also been asked to explain the human and automated safeguards used to review advertisements before approval. The NHRC has directed the company to preserve relevant digital records connected with the matter.

The questions extend beyond Meta's own systems. MeitY has been asked to examine whether the alleged promotion of such material through Meta's advertising tools amounts to a violation of the Information Technology Act. The ministry has also been asked to outline steps being taken to prevent unlawful material from being promoted, monetised or amplified.

Gurugram Police, meanwhile, has been directed to investigate the allegations through its cyber-crime unit. The police has also been asked to identify those responsible and register an FIR if the investigation establishes a cognisable offence.

The NHRC has called for the matter to be dealt with with "utmost urgency". Depending on what the investigation establishes, the commission said provisions of the Information Technology Act, the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita could potentially come into play.

The latest action adds another layer to the growing scrutiny around Meta's advertising and content-moderation systems in India. The company's chief global affairs officer Joel Kaplan and other executives had recently met MeitY officials amid concerns including alleged child sexual abuse material (CSAM) on its platforms and the removal of a video featuring Prime Minister Narendra Modi.

For Meta, therefore, the issue is no longer simply what appears on its platforms, but how material gets through

the gate in the first place. The NHRC's demand for advertiser, payment, targeting and review-system details puts that gatekeeping process firmly under examination.

Source: <https://in.headtopics.com/news/23442379231923396696-87865709>

नोएडा में ऑटो से खींचकर महिला मैनेजर के साथ मारपीट, स्कॉर्पियो सवारों ने FNG एक्सप्रेसवे पर घटना को दिया अंजाम

□ 18-09-2026 07:32:00 स्रोत: NBT Hindi News

नोएडा के एफएनजी एक्सप्रेसवे पर दबंगों ने ऑटो से खींचकर एक महिला मैनेजर के साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

नोएडा में ऑटो से खींचकर महिला मैनेजर के साथ मारपीट, स्कॉर्पियो सवारों ने FNG एक्सप्रेसवे पर घटना को दिया अंजाम नोएडा के एफएनजी एक्सप्रेसवे पर दबंगों ने ऑटो से खींचकर एक महिला मैनेजर के साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली-एनसीआर में महिला सुरक्षा के दावों के बीच नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एफएनजी एक्सप्रेसवे पर बुधवार शाम दबंगों ने ऑटो में बैठी एक निजी कंपनी की महिला मैनेजर को जबरन बाहर खींच लिया और बाल पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने महिला के हाथ पर किसी वस्तु से वार कर उन्हें घायल भी कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। की राधा स्काई गार्डन सोसायटी निवासी पीड़िता सेक्टर-63 स्थित एक्सप्रेस बिल्डर्स कंपनी में मैनेजर है। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे ऑफिस से निकलने के बाद वह पर्थला जाने के लिए सेक्टर-63 थाने के पास एफएनजी चौराहे पर ऑटो में बैठी थीं। इसी दौरान वहां मौजूद अमर सिंह यादव नाम के व्यक्ति से तेज आवाज में बात करने को लेकर उनकी बहस हो गई। आरोप है कि अमर सिंह ने महिला को धमकी दी। विवाद से बचने के लिए पीड़िता उस ऑटो से उतरकर दूसरे ऑटो में बैठकर पर्थला के लिए रवाना हो गईं। पीड़िता के अनुसार, आरोपी अमर सिंह अपने साथियों के साथ बाइक से ऑटो का पीछा कर रहा था और पीछे आ रही बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो में बैठे सहयोगियों को महिला की लोकेशन दे रहा था। जैसे ही ऑटो एफएनजी पुल पर पहुंचा, बाइक सवार ने आगे अपनी बाइक लगाकर ऑटो को रुकवा लिया। तभी पीछे से आई काली स्कॉर्पियो से दो पुरुष और दो महिलाएं, उनमें अमर सिंह यादव भी था, नीचे उतरे। आरोपियों ने महिला को ऑटो से घसीटकर बाहर निकाला और बाल पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हमले में शामिल एक महिला ने पीड़िता के हाथ पर वार कर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। शोर मचने पर सब भाग निकले। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बस चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सजा न लेते हुए दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों से जांच रिपोर्ट मांगी थी। पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-63 थाना पुलिस ने अमर सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 115 और 351 के तहत केस दर्ज किया है। थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िता के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रशांत सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। पत्रकारिता में उनका 1.

5 साल का अनुभव है। वह अभी उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब-हरियाणा, गोवा समेत नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की खबरों पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स अखबार से की थी। प्रशांत सिंह को देश-विदेश की राजनीति के बारे में लिखना बेहद पसंद है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को अपनी टीम के साथ कवर किया है। इसके साथ ही उन्हें हिंद-प्रशांत महासागर और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने और उस पर लिखने में गहरी दिलचस्पी है। प्रशांत सिंह ने दिल्ली की गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपनी मास्टर्स खत्म होने के बाद मीडिया जगत में कदम रखा। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद

Source: <https://4pm.co.in/major-concerns-raised-over-the-deaths-of-tribal-students-in-maharashtra-cjp-launches-fix-the-schools-campaign/190721>

महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की मौत पर बड़ा सवाल, CJP ने शुरू किया 'स्कूल ठीक करो' अभियान

महाराष्ट्र के आदिवासी आवासीय स्कूलों में छात्रों की मौतों और खराब व्यवस्था पर CJP ने 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया है. पार्टी ने पिछले दो सालों में 584 मौतों का आंकड़ा बताया है.

Parul Singh September 17, 2026

4पीएम न्यूज नेटवर्क: महाराष्ट्र के आदिवासी आवासीय स्कूलों में छात्रों की मौतों और खराब व्यवस्था पर CJP ने 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया है. पार्टी ने पिछले दो सालों में 584 मौतों का आंकड़ा बताया है.

महाराष्ट्र के आदिवासी आवासीय स्कूलों में छात्रों की मौत के आंकड़ों और स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. CJP के राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक अभिजीत दिपके ने नागपुर में आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे और संयुक्त सचिव अक्षय शिंदे भी मौजूद रहे.

CJP का कहना है कि महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों में आश्रम स्कूलों में 584 छात्रों की मौत का आंकड़ा सामने आया है. पार्टी ने इन घटनाओं को लेकर स्वतंत्र जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. दिपके ने कहा कि आदिवासी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को केवल मुआवजे के जरिए नहीं देखा जा सकता.

गढ़चिरौली छात्रावास की घटना का हवाला

दिपके ने गढ़चिरौली के एक आदिवासी छात्रावास में हुई घटना का भी मुद्दा उठाया. CJP के मुताबिक, अगस्त में सांप के काटने से तीन आदिवासी छात्राओं की मौत हुई थी. पार्टी का आरोप है कि छात्रावास में पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध नहीं थे और छात्राओं को जमीन पर सोना पड़ रहा था. एक कमरे में बड़ी संख्या में छात्राओं के रहने का भी दावा किया गया है. मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से नोटिस जारी किए जाने का CJP ने उल्लेख किया. दिपके ने कहा कि आदिवासी छात्रों की मौत के बाद आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ उन परिस्थितियों की भी जांच होनी चाहिए, जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं.

बालाघाट का मामला भी उठाया

CJP ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों की मौत का मुद्दा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया. दिपके ने दावा किया कि वहां 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है. उन्होंने दूषित पानी और खाद्य विषाक्तता जैसे संभावित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रशासन से स्वास्थ्य सेवाओं और निगरानी व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा.

देशभर के आदिवासी आवासीय स्कूलों के ऑडिट की मांग

CJP ने केंद्र सरकार के सामने देश के सभी आदिवासी आवासीय स्कूलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग रखी है. पार्टी के मुताबिक, प्रत्येक स्कूल का तीन महीने के भीतर गैर-विभागीय ऑडिट कराया जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए.

इसके अलावा CJP ने पिछले 10 वर्षों में आश्रम स्कूलों और एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में हुई छात्र मौतों का राज्यवार रिकॉर्ड सार्वजनिक करने, स्वीकृत और चालू स्कूलों की जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक डैशबोर्ड बनाने और EMRS के लिए मंजूर बजट के पूर्ण उपयोग की मांग की है.

CJP के अनुसार, 720 स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में से 477 स्कूल ही संचालित हैं. पार्टी ने खाली शिक्षण पदों और स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति को भी सार्वजनिक करने की मांग की है. अभिजीत दिपके ने नागरिकों से अपने आसपास के आदिवासी आवासीय स्कूलों में सुविधाओं की स्थिति की जानकारी साझा करने की अपील की. CJP ने इसके लिए school-thik-karo.com/adivasi पोर्टल उपलब्ध कराया है.

Source: <https://hindi.theprint.in/politics/sukhbir-badal-targets-cm-manns-wife/1030205/>

गांवों में लगे QR कोड वाले पोस्टर :सुखबीर बादल ने CM मान की पत्नी पर साधा निशाना

विपक्ष के नेताओं ने रेप केस में 5 करोड़ रुपये की कथित मांग के मामले में डॉ. गुरप्रीत कौर पर हमले तेज़ कर दिए हैं, जबकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है और कानूनी कार्रवाई भी की है.

चितलीन सेठी 17 September, 2026

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है. ऐसे में विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला तेज कर दिया है और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनकी पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर को फिर से निशाने पर लिया है.

निहाल सिंह वाला में 'पंजाब बचाओ' रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गांवों की दीवारों पर पेमेंट के लिए QR कोड वाले पोस्टर देखे हैं. डॉ. गुरप्रीत कौर पर आरोप है कि उनके एक करीबी रिश्तेदार अमरदीप ग्रेवाल ने रेप के आरोपी गुरिंदर सिंह उर्फ गुरी चहल को मामले में क्लीन चिट दिलाने में मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपये मांगे.

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने भी मंगलवार को चंडीगढ़ में एक रैली के दौरान डॉ. गुरप्रीत कौर को निशाना बनाया था. चन्नी ने कहा, "रेप के आरोपियों को खुलेआम बच निकलने दिया गया है. भगवंत मान, आपकी पत्नी ने 5-5 करोड़ रुपये लिए हैं."

कौर ने रेप मामले में किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को जब यह समझ आया कि वह दूसरे मुद्दों पर मुख्यमंत्री को निशाना नहीं बना सकता, तो उसने बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाए.

उन्होंने पिछले महीने जब पहली बार ये आरोप सामने आए थे, तब मीडिया से कहा था, "मैं कभी किसी चीज से नहीं डरी हूँ. और ये झूठे आरोप हैं, जो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार हैं. जो लोग मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सबूत के साथ तैयार रहना चाहिए, नहीं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा."

दिप्रिंट ने मुख्यमंत्री आवास के जरिए फोन पर डॉ. गुरप्रीत मान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बार-बार कोशिश के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो सका. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.

नकली पोस्टर

बुधवार को अकाली दल ने एक बयान में दावा किया कि चुनाव से पहले चलाए गए एक तरह के नकली पोस्टर अभियान के तहत पंजाब के कई गांवों में पोस्टर लगाए गए हैं. पार्टी ने कहा कि ये पोस्टर SAS नगर (मोहाली), लुधियाना, पटियाला, फिरोजपुर, कोटकपूरा, मोगा और पठानकोट में कई इलाकों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और बाजारों में देखे गए.

अकाली दल ने आगे आरोप लगाया कि पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करने पर डॉ. गुरप्रीत कौर के रिश्तेदार अमरदीप ग्रेवाल और रेप के आरोपी के दोस्त सिमरनजीत सिंह हुंदल के बीच हुई बातचीत की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती है.

कथित ऑडियो को अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक भी किया था.

रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह भरोसा दिलाते हुए सुनाई देता है कि वह उसके दोस्त के खिलाफ दर्ज पांच मामलों या शिकायतों को सुलझाने में मदद करेगा. बातचीत में दोनों लोग इस मदद के बदले रकम तय करने पर भी चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं.

मजीठिया ने आरोप लगाया था कि 5 करोड़ रुपये की "डील" के बाद पुलिस ने चहल के खिलाफ रेप के मामलों को बंद करने की कोशिश की थी. मजीठिया ने

इन आरोपों की CBI जांच की मांग की थी.

हुंदल ने इस महीने की शुरुआत में जारी एक वीडियो संदेश के जरिए कहा था कि वह मुख्यमंत्री की पत्नी से कभी नहीं मिला और न ही वह ऐसी किसी डील में शामिल था.

उन्होंने कहा, “यह सब गंदी राजनीति का नतीजा है. अगर राजनेताओं को इस तरह की राजनीति करनी है, तो उन्हें पत्नियों और बेटियों को इसमें नहीं लाना चाहिए.” उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और अगर किसी ने उन्हें इसमें फंसाने की कोशिश की, तो वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 22 अगस्त को पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया था. यह नोटिस रेप के मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप को लेकर जारी किया गया था. आयोग ने उन्हें इन आरोपों की जांच कराने और दो हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) आयोग के सामने पेश करने का निर्देश दिया था.

नोटिस में NHRC ने कहा कि उसे लीगल राइट्स ऑब्ज़र्वेटरी (LRO) की ओर से एक शिकायत मिली थी. इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजीत सिंह ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था कि “5 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसका संबंध पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी से कथित तौर पर जुड़े रेप के मामले से था.”

रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह, जो एक गैर-सरकारी संगठन पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (PHRO) के प्रमुख हैं, ने पिछले महीने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस मामले को उठाया था.

उन्होंने मीडिया को बताया था कि एक रेप पीड़िता के पिता ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि अमृतसर में दर्ज उनकी बेटी के मामले की पंजाब पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है और मामले को CBI को सौंपा जाना चाहिए.

इसके बाद डॉ. गुरप्रीत कौर ने जस्टिस रंजीत सिंह, बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया.

तीनों को उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के आरोप में माफी मांगने के लिए कानूनी नोटिस भेजे गए. हालांकि, तीनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वे अदालत में अपने बयानों का बचाव करेंगे और इसके लिए पर्याप्त सबूत भी पेश करेंगे.

मामला

30 जून को अमृतसर के 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बेटी का गुरिंदर सिंह उर्फ गुरी चहल ने अपहरण किया और उसके साथ रेप किया. चहल मोहाली का रहने वाला है.

पिता ने कहा कि आरोपी ने उसकी बेटी से शादी करने का वादा भी किया था. उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी और उनकी बेटी 1 मई को मिली थी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आरोपी के पास उसकी निजी तस्वीरें थीं और वह उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था.

अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि आरोपी को 13 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष और सही तरीके से जांच नहीं की. इसके कारण आरोपी को जेल से छोड़ दिया गया. पीड़िता के पिता ने आरोपी चहल के अलावा हुंदल और ग्रेवाल को भी प्रतिवादी बनाया था.

पीड़िता के पिता ने याचिका में कहा कि प्रतिवादी अमृतसर पुलिस पर मामले को दबाने के लिए दबाव बना रहे थे. उन्होंने कहा कि चहल ने पीड़िता से बताया था कि वह एक गैंगस्टर के करीब है और उसे अपने पास मौजूद हथियार भी दिखाए थे.

पिता ने यह भी दावा किया कि 9 जून को हुंदल ने चहल की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि ग्रेवाल, जो खुद को मुख्यमंत्री की पत्नी का रिश्तेदार बताता था, चहल के खिलाफ रेप के झूठे मामलों को दबाने के लिए उनकी ओर से करोड़ों रुपये मांग रहा था.

हुंदल की याचिका, जिसकी एक कॉपी पीड़िता के पिता की ओर से दायर याचिका के साथ लगाई गई थी, में अदालत से जान और आजादी की सुरक्षा और “जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, राजनीतिक प्रभाव और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जुड़े गंभीर आरोपों” से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी.

हुंदल ने आरोप लगाया था कि वह चहल के मामलों को कानूनी तौर पर देख रहा था. इसी दौरान ग्रेवाल ने उससे संपर्क किया और चहल के खिलाफ मामलों को खत्म कराने के लिए करोड़ों रुपये मांगे. ग्रेवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी नजदीकी का हवाला दिया था. हुंदल ने अपनी याचिका के साथ चहल के मामलों से जुड़ी ग्रेवाल के साथ फोन पर हुई दो कथित बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट भी लगाई थी.

बाद में हुंदल ने हाई कोर्ट से यह याचिका वापस ले ली थी.

हालांकि, रेप पीड़िता के पिता की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस मनदीप पन्नू ने 20 जुलाई को आदेश दिया कि मामले की जांच अमृतसर पुलिस से लेकर स्पेशल डीजीपी वीमन को सौंप दी जाए.

आदेश में कहा गया है, “विशेष पुलिस महानिदेशक अपने पूरे पर्यवेक्षण में जांच करने के लिए एक वरिष्ठ राजपत्रित पुलिस अधिकारी को नियुक्त करेंगे. यह अधिकारी पहले किसी भी स्तर पर इस मामले की जांच से जुड़ा नहीं रहा होना चाहिए.” इस आदेश की एक कॉपी दिप्रिंट के पास है.

24 अगस्त को, NHRC की ओर से पंजाब सरकार को नोटिस जारी किए जाने के दो दिन बाद, रेप के आरोपी चहल ने मामले में सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया.

Source: <https://www.forwardpress.in/2026/09/news-punjab-gulzar-singh-suicide-case/>

पंजाब : गुलजार सिंह की मौत का जिम्मेदार कौन?

जिस बेटे को पालने के लिए दलित समुदाय के गुलजार सिंह ने जिंदगी भर भेड़-बकरियां चराई और मजदूरी की, वही बेटा नशे की गिरफ्त में आ गया। बेटे को बचाने की कोशिश में उसने गांव में चिट्ठे की बिक्री का सवाल उठाया और कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। पढ़ें, अमरपाल सिंह वर्मा की यह रपट

अमरपाल सिंह वर्मा September 17, 2026

पंजाब के संगरूर जिले के तूर बंजारा गांव के दलित गुलजार सिंह की मौत इन दिनों चर्चा में है। गुलजार सिंह कोई बड़ा आदमी नहीं था। न उसके पास कोई राजनीतिक ताकत थी, न ऐसी हैसियत कि उसकी कही बात सत्ता के गलियारों तक हलचल पैदा कर दे। वह एक गरीब आदमी था, जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा भेड़-बकरियां चराने और दिहाड़ी-मजदूरी करने में गुजार दिया। इसी मेहनत से पत्नी और तीन बेटों का पेट पाला। आज उसकी मौत ने उसे चर्चा के केंद्र में ला दिया है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान समेत तमाम बड़े नेताओं के बयानों में गुलजार सिंह का जिक्र है।

आखिर गुलजार सिंह ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसकी मौत के बाद देश की राजनीति में उसका नाम गूंज रहा है? सच यह है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था लेकिन जिंदगी भर अभावों से लड़ते रहे इस आदमी के सामने एक ऐसी मुसीबत आ खड़ी हुई, जिससे लड़ना शायद उसके बूते से बाहर था। पंजाब की बड़ी युवा आबादी की तरह उसके तीन बेटों में से एक को भी नशे की लत लग गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि बेटा नशे के लिए घर का सामान तक बेचने लगा। पंजाब में ड्रग जिसे आम बोलचाल में 'चिट्ठा' कहा जाता है, उसने गुलजार सिंह के घर में भी जगह बना ली।

एक पिता के लिए इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, जिसके लिए बरसों धूप और सर्दी में मजदूरी की हो, उसे अपनी आंखों के सामने नशे में डूबते देखे। और कुछ न कर पाने की बेबसी झेले। गुलजार सिंह इसी बेबसी को झेल रहा था। इसी तकलीफ को लेकर गुलजार सिंह बीते 6 सितंबर, 2026 को गांव में हुए एक कार्यक्रम में पहुंचा था। वहां पंजाब के वित्त मंत्री और स्थानीय विधायक हरपाल सिंह चीमा मौजूद थे। परिजनों के अनुसार गुलजार सिंह ने मंत्री के सामने अपने बेटे की हालत बताई। उसने गांव में चिट्ठा बिकने की शिकायत भी की।

यह एक पिता की फरियाद थी, जिसे शायद उम्मीद रही होगी कि मंत्री तक बात पहुंच गई है तो कुछ कार्रवाई होगी। बेटे को इस दलदल से निकालने का कोई रास्ता खुलेगा, लेकिन इसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसका अंत गुलजार सिंह की मौत पर हुआ। परिवार का आरोप है कि मंत्री के समक्ष शिकायत करने के बाद कुछ लोगों ने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया। उसे धमकाया गया, जातिसूचक अपशब्द कहे गए और पंचायत के सामने माफी मांगने के लिए कहा गया। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो अब जांच में तय होगा लेकिन इतना तथ्य सामने है कि अगले दिन गुलजार सिंह ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया और रात में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मरने से पहले गुलजार सिंह का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे उसे इलाज के लिए ले जाए जाते समय बनाया गया था। इस वीडियो में वह अपने साथ हुई घटना और कुछ लोगों के दबाव का जिक्र करता दिखाई देता है। वीडियो में कही गई बातों और परिवार के आरोपों की सत्यता भी जांच के दायरे में है। गुलजार सिंह ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

पंजाब में नशे की समस्या पर दशकों से चर्चा हो रही है। सरकारें बदली हैं, नीतियां बनी हैं, अभियान चले हैं, तस्कर पकड़े गए हैं और नशामुक्ति केंद्र भी खुले हैं। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर इस समस्या को बढ़ाने या रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस पूरी बहस के दूसरे छोर पर ऐसे परिवार खड़े हैं, जिनके घर का कोई न कोई नौजवान नशे की गिरफ्त में है। ऐसे परिवारों का दर्द और उनकी दुनिया आंकड़ों से अलग है।

गुलजार सिंह की मौत के बाद राजनीति तेजी से गरमा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे तथा स्वतंत्र जांच की मांग की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब में विपक्ष पर मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने मामले में कार्रवाई की है तथा नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद

केजरीवाल ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। उनका कहना है कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर इस मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने सवाल उठाया कि सरकार से शिकायत करने वाले एक आम आदमी को आखिर ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? पंजाब भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर सीबीआई जांच और मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एफआईआर में हरपाल सिंह चीमा का नाम शामिल करने की मांग की है।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि उन्होंने गुलजार सिंह की शिकायत सुनी थी और नशे की बिक्री के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इन तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच सच क्या है, यह जांच के बाद ही सामने आएगा लेकिन राजनीति अपनी गति से चल रही है।

गुलजार सिंह की मौत के साथ उन असंख्य परिवारों के सवाल भी जुड़े हैं, जिनके घरों में आज मां-बाप अपने बच्चे को नशे से निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब में नशे की लड़ाई केवल पुलिस और तस्करों के बीच की लड़ाई नहीं कही जा सकती। यदि किसी युवा को नशा मिलना बंद भी हो जाए तो उसे नशे से बाहर निकालने, इलाज कराने, फिर सामान्य जिंदगी में लौटाने और उसके परिवार को संभालने का काम भी उतना ही जरूरी है। परिवारों को यह भरोसा भी चाहिए कि वे नशा बेचने वालों की शिकायत कर सकते हैं। बिना किसी डर के। बिना यह सोचे कि सामने वाला कितना ताकतवर है। और बगैर इस चिंता के कि शिकायत के बाद उनकी अपनी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। गुलजार सिंह दलित था। गरीब था। मेहनत-मजदूरी करके परिवार पालता था। इसलिए उसकी कहानी में नशे के साथ सामाजिक हैसियत का सवाल भी जुड़ गया है। परिवार ने जातिसूचक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। जांच से पता चलेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन हमारा समाज इस बड़े सवाल से मुंह नहीं मोड़ सकता कि सबसे निचली पायदान पर खड़ा आदमी जब व्यवस्था से न्याय मांगता है तो वह खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है।

आज गुलजार सिंह की मौत पर पंजाब की राजनीति में शोर है। सत्ता पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी बनी है और आयोग सक्रिय हैं। यह सब अपरिहार्य है मगर उससे ज्यादा जरूरी यह देखना होगा कि छह महीने या एक साल के बाद तूर बंजारा में क्या बदलेगा? क्या वहां चिट्ठा मिलना बंद हो जाएगा? क्या नशे में फंसे नौजवानों का इलाज और पुनर्वास हो सकेगा? क्या गुलजार सिंह के परिवार को न्याय और सहारा मिल पाएगा? क्या अब कोई और गुलजार सिंह अपने गांव में नशे के खिलाफ आवाज उठाने से डरेगा नहीं? क्या गुलजार सिंह की मौत के बाद पंजाब में यह सुनिश्चित होगा कि किसी और गरीब पिता को अपने बेटे को नशे से बचाने के लिए आवाज उठाने की कीमत जान देकर न चुकानी पड़े?

(संपादन : नवल/अनिल)

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/noida/fng-expressway-female-manager-dragged-out-of-auto-rickshaw-assaulted/articleshow/134323939.cms>

hindi Newsstateuttar pradeshnoidaFng Expressway Female Manager Dragged Out Of Auto rickshaw Assaulted

नोएडा में ऑटो से खींचकर महिला मैनेजर के साथ मारपीट, स्कॉर्पियो सवारों ने FNG एक्सप्रेसवे पर घटना को दिया अंजाम

Edited by: प्रशांत सिंह | नवभारत टाइम्स • 18 Sept 2026, 7:47 am IST

नोएडा के एफएनजी एक्सप्रेसवे पर दबंगों ने ऑटो से खींचकर एक महिला मैनेजर के साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में महिला सुरक्षा के दावों के बीच नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एफएनजी एक्सप्रेसवे पर बुधवार शाम दबंगों ने ऑटो में बैठी एक निजी कंपनी की महिला मैनेजर को जबरन बाहर खींच लिया और बाल पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की।

इस दौरान आरोपियों ने महिला के हाथ पर किसी वस्तु से वार कर उन्हें घायल भी कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऑटो में तेज आवाज में बोलने पर हुआ था विवाद

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की राधा स्काई गार्डन सोसायटी निवासी पीड़िता सेक्टर-63 स्थित एक्सप्रेस बिल्डर्स कंपनी में मैनेजर है। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे ऑफिस से निकलने के बाद वह पर्थला जाने के लिए सेक्टर-63 थाने के पास एफएनजी चौराहे पर ऑटो में बैठी थीं। इसी दौरान वहां मौजूद अमर सिंह यादव नाम के व्यक्ति से तेज आवाज में बात करने को लेकर उनकी बहस हो गई। आरोप है कि अमर सिंह ने महिला को धमकी दी। विवाद से बचने के लिए पीड़िता उस ऑटो से उतरकर दूसरे ऑटो में बैठकर पर्थला के लिए रवाना हो गई।

आरोपियों ने स्कॉर्पियो से घेरकर किया हमला

पीड़िता के अनुसार, आरोपी अमर सिंह अपने साथियों के साथ बाइक से ऑटो का पीछा कर रहा था और पीछे आ रही बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो में बैठे सहयोगियों को महिला की लोकेशन दे रहा था। जैसे ही ऑटो एफएनजी पुल पर पहुंचा, बाइक सवार ने आगे अपनी बाइक लगाकर ऑटो को रुकवा लिया। तभी पीछे से आई काली स्कॉर्पियो से दो पुरुष और दो महिलाएं, उनमें अमर सिंह यादव भी था, नीचे उतरे। आरोपियों ने महिला को ऑटो से घसीटकर बाहर निकाला और बाल पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हमले में शामिल एक महिला ने पीड़िता के हाथ पर वार कर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। शोर मचने पर सब भाग निकले।

महिला सुरक्षा पर सवाल

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बस चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए दिल्ली और गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरों से जांच रिपोर्ट मांगी थी।

सीसीटीवी कैमरों की खंगाली जा रही फुटेज

पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-63 थाना पुलिस ने अमर सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रास्ता रोकना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया है। थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िता के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

Source: <https://www.dainiktribuneonline.com/news/punjab/strict-action-will-be-taken-against-human-rights-violations-goyal/>

मानवाधिकारों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : गोयल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्पेशल मॉनिटर (बच्चे एवं बुजुर्ग नागरिक) बाल कृष्ण गोयल ने आज पटियाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों...

Our Correspondent

Updated At : 10:56 PM Sep 17, 2026 IST

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्पेशल मॉनिटर (बच्चे एवं बुजुर्ग नागरिक) बाल कृष्ण गोयल ने आज पटियाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग नागरिकों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। बाल कृष्ण गोयल ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी तालमेल एवं सहयोग से कार्य किया जाए। पटियाला दौरे के दौरान गोयल ने केंद्रीय जेल, पीडीएस वितरण केंद्रों, पुलिस थानों, अस्पतालों, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स, वृद्धाश्रम, सरकारी-आवासीय स्कूलों, ऑब्जर्वेशन होम, वन स्टॉप सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा कर निरीक्षण किया। बैठक के दौरान एडीसी (अर्बन डेवलपमेंट) नवरीत कौर सेखों ने डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल की ओर से गोयल का स्वागत किया। एसपी सिटी मोहित अग्रवाल ने एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस की ओर से भरोसा दिलाया कि पटियाला पुलिस आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरा सहयोग देगी।